(31)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES | Rs.10

निगरानी–2838/2018/अनूपपुर/भू.रा.

1– अरुण प्रताप सिंह तनय प्रेम कुमार सिंह

2– विवेक सिंह तनय स्व. नरेन्द्रपाल सिंह

3- ममता देवी पुत्री प्रेम कुमार सिंह

तीनों निवासी ग्राम सीतापुर, तह. अनूपपुर जिला– अनूपपुर म.प्र. हाल पता बैकुंठ बरा. रोड पेट्रोल पंप के पास सुपिया हाउस रीवा जि. रीवा (म.प्र.)

—— आवेदक गण

बनाम

उदय प्रकाश सिंह तनय श्री प्रेम कुमार सिंह, निवासी ग्राम सीतापुर, तह. अनूपपुर जिला– अनूपपुर म.प्र.

—— अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 8-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नायब तहसीलदार वृत्त फुनगा, तहसील अनूपपुर जिला– अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 0048/अ–03/2017–2018 में पारित आदेश दिनांक 4.4.18 के विरुद्ध निगरानी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू– रा. संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैः–

1– यह कि अधीनस्थ न्याया. नायब तहसीलदार तह. अनूपपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.4.18 विधि, प्रकिया एवंत थ्यों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2– यह कि अनावेदक द्वारा आराजी नं. 10/12क/1/1 ख/1/1/1/1/1/1 एवं 14/2 रकबा 0.101 हे. एवं 4.412 हे. स्थित ग्राम सीतापुर तह. अनूपपुर जिला– अनूपपुर के नक्शा तरमीम आवेदन नायब तहसीलदार तह. अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2838/2018/अनूपपुर/भू.रा. अरूण प्रताप विरूद्ध उदय प्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष के अभिभाषकों को दिनांक 10-09-2018 को सुना जा चुका है । 2. प्रकरण में यह Admitted तथ्य है कि निगरानीकर्ता से द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के न्यायालय में पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रस्तुत अधीनस्थ नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 48/अ-3/2017-19 दिनांक 04-04-2018 के विरूद्ध अपील क्रमांक 107/106/अपील/2017-18 प्रस्तुत की जा चुकी है । अनावेदक द्वारा उक्त अपील की आदेश पंजिका दिनांक 01-05-2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है । 3. अतः उक्त के अनुक्रम में इसी स्तर पर निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है । पक्षकारों के अभिभाषकों को नोट कराया जाये । सदस्य 17.9.2018	